



# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



**प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर**

**दिनांक 01.07.2026**

**“एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ टीम द्वारा स्थानीय थाना औंग पुलिस के सहयोग से लूट के अभियोग में वांछित 50,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।”**

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** वादी श्री श्रीपाल पांडेय पुत्र रामनारायण पांडेय निवासी ग्राम अहीपुर थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर के द्वारा थाना औंग पर दिनांक 22.12.2014 को अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी की मोटर साइकिल का पीछा करके उसके हैंडिल में टंगा बैग मार्का बैंक ऑफ इंडिया के 9 लाख रुपये लूट कर भाग गये उक्त सूचना के आधार पर थाना औंग पर मु0अ0सं0127/14 धारा 394/411/120बी भादवि पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **मुख्य आरोपी एवं घटना का मास्टरमाइंड** अभियुक्त बाबा उर्फ मुन्ना उर्फ हसीनउल्ला पुत्र हम्मन उर्फ सनाउल्ला निवासी वज्जूपुर हड़ही थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे थे जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, परिक्षेत्र प्रयागराज द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

**गिरफ्तारी का विवरण-** श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक बिंदकी के कुशल नेतृत्व में स्थानीय थाना औंग के सहयोग से एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ पुलिस टीम द्वारा थाना औंग पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 127/14 धारा 394/411/120 बी भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त बाबा उर्फ मुन्ना उर्फ हसीनउल्ला पुत्र हम्मन उर्फ सनाउल्ला निवासी वज्जूपुर हड़ही थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त को दिनांक 30.06.2026 को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के साथियों 1. अखिलेश पाल, 2. राजकिशोर कुमार, 3. अजय उर्फ हीरालाल एवं 4. जावेद से लूटी गई 04 लाख रुपये की धनराशि पूर्व में ही बरामद की जा चुकी है। उपरोक्त अभियुक्त घटना के समय से ही बदस्तूर फरार/मफरूर चल रहे थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

1. बाबा उर्फ मुन्ना उर्फ हसीनउल्ला पुत्र हम्मन उर्फ सनाउल्ला निवासी वज्जूपुर हड़ही थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर को फतेहपुर।

**गिरफ्तार अभियुक्त बाबा उर्फ मुन्ना उर्फ हसीनउल्ला का आपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 127/14 धारा 394/411/120बी भादवि थाना औंग जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 112/16 धारा 174ए भादवि थाना औंग जनपद फतेहपुर

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरीक्षक श्री शिवनेत्र सिंह एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ
2. उ०नि० श्री मनोज सिंह एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ
3. उ०नि० रामनरेश एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ
4. हे०का० अमित कुमार एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ
5. हे०का० कमांडो रामविलाश एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ

